राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक एफ 1(1)आ0प्र0एवंसहा./सामा0/2019/11455-89 जयपुर,दिनांक30.12.2019

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः—प्राकृतिक आपदा घटित होने पर प्रभावितों को आरआईएसएल द्वारा बनाये गये DMIS सॉफ्टवेयर के माध्यम से 1 जनवरी, 2020 से राहत प्रदान करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्राकृतिक आपदा घटित होने पर Gratuitous Relief, Infrastructure, Damaged House आदि क्षति होने पर प्रभावितों को आरआईएसएल द्वारा बनाये गये DMIS सॉफ्टवेयर के माध्यम से 1 जनवरी, 2020 से राहत प्रदान करने की प्रकिया प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करेंगे:—

1. इस प्रकिया के तहत अनुग्रह सहायता, भवन क्षति, अग्नि क्षति एवं बुनियादी ढांचे के लिए राहत सहायता हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए प्रार्थी द्वारा SSO द्वारा DMIS सॉफटवेयर पर रजिस्ट्रशन करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात आरआईएसएल द्वारा बनाये गये DMIS सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। एप्लीकेशन पर ऑनलाईन आवेदन दिनांक 01 जनवरी, 2020 से प्रारम्भ किया जावेगा। प्राकृतिक आपदा घटित होने पर प्रभावितों को राहत प्रदान करने हेतु आवेदन करते समय आवश्यक डॉक्यूमेंटस अपलोड किये जायेंगे। सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त आवेदन को सम्बन्धित पटवारी/तहसीलदार द्वारा अनुग्रह सहायता, भवन क्षति, अग्नि क्षति एवं बुनियादी ढांचे के लिए सहायता आदि के संबंध में आवेदन—पत्र की जांच कर अपनी अनुशंषा सहित प्रस्ताव जिला कलक्टर को ऑनलाईन ही अग्रप्रेषित करेंगे।

2. जिला कलक्टर कार्यालय में तहसील से अनुग्रह सहायता, भवन क्षति, अग्नि क्षति एवं बुनियादी ढांचे के लिए सहायता आदि राहत सहायता प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिला कलक्टर सॉफटवेयर के माध्यम से निस्तारण/स्वीकृति जारी करेंगे। यदि प्रकरण स्वीकृति योग्य पाया जाता है तो शीघ्र प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर ऑनलाइन राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

Scanned by CamScanner

3. विभाग द्वारा राज्य के समस्त जिलों के पटवारियों को आरआईएसएल द्वारा बनाये गये DMIS सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

4. भारत सरकार के एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार अनुग्रह सहायता, भवन क्षति, अग्नि क्षति एवं बुनियादी ढांचे के लिए सहायता आदि के DMIS द्वारा प्रेक्षित ऑनलाईन प्रस्तावों पर ही विभाग द्वारा ही जिला कलेक्टर को बजट आवंटन किया जायेगा, ऑफ लाईन प्राप्त प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।

भवदीय

सिद्धार्थ

शासन सचिव

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

Scanned by CamScanner